गन्ने पर उच्च न्यायालय ने दिया केंद्र सरकार को नोटिस

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 1 जुलाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश चीनी मिलों पर किसानों की बकाया रकम पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजा दिया। राज्य में चीनी मिलों पर 7,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने चीनी क्षेत्र में मौजूदा संकट के परिप्रेक्ष्य में केंद्र से जवाब मांगा है। हाल में ही केंद्र ने बकाया भुगतान में मिलों की मदद के लिए कुछ उपायों की घोषणा की थी।

न्यायालय ने राष्ट्रीय कृषि किसान मजदूर संगठन (आरकेएमएस) की याचिका का यह आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। इस बीच, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों को गन्ना की रकम का भुगतान सुनिश्चित करने और बकाया रकम वसूली को 'तार्किक निष्कर्ष' तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

संगठन के संयोजक वी एम सिंह ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'न्यायालय ने बकाया रकम की वसूली से जुड़े प्रावधानों का कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है।'

उन्होंने कहा कि गन्ना बकाया को भूमि राजस्व की तरह तवज्जो देने और इसकी वसूली नहीं होने की स्थिति में मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया था। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ (यूपीएसएमए) सचिव दीपक गुपतारा ने कहा कि मिलों ने बकाया रकम के भुगतान के लिए किए जा रहे सभी उपायों से न्यायालय को अवगत कराया है। गुपतारा ने कहा, 'हम किसानों को भुगतान के लिए प्रतिबद्ध हैं और देनदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं।'

अदालत का दखल

- चीनी क्षेत्र के मौजूदा संकट के मद्देनजर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उठाया कदम
- राष्ट्रीय कृषि किसान मजदूर संगठन की याचिका पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को
- हाल ही में केंद्र सरकार ने बकाया भुगतान में मिलों की मदद करने के लिए किए थे उपाय

पिछले महीने निजी चीनी मिलों ने संकेत दिए थे कि राज्य सरकार से वित्तीय मदद मिले बगैर वे आगामी 2014-15 सत्र में परिचालन नहीं कर पाएंगी।

मिलों ने अफसोस जताया कि राज्य ने पिछले साल पेराई सत्र के शुरू में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इनमें चीनी मिलों को वित्तीय सहायता, पारदर्शी गन्ना कीमत तय करने का पारदर्शी फॉर्मूला आदि शामिल थे। उत्तर प्रदेश में 95 निजी चीनी मिले हैं। ये मिलें गन्ने की अधिक कीमतों का हवाला देकर नुकसान की बात करती रही हैं। अब तक राज्य सरकार ने 47 मिलों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है और 36 को वसूली नोटिस (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किए हैं।

Business Standard (Hindi)
2/7/14